न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 18/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :—20.01.2025

1. लेखराज आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली, बून्दी।
2. हेमराज आ0 रामकुवांर जाति मीणा निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली
3. मांगीलाल आ0 मोतीलाल जाति कुमावत निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली
4. खाना आ0 मोती लाल जाति कुमावत निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली
5. देवा आ0 मोतीलाल जाति कुमावत निवासी मांगली कलां तह0 हिण्डोली

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 30/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम मांगली कलां के निवासी है और ग्राम मांगली कलां की भूमि खसरा सं0 307 एक बडा रकबा है और उक्त खसरा सं0 307 में से सभी प्रार्थीगण को भूमियां राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है। और सभी प्रार्थीगण आवंटित भूमि के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के मध्य कब्जे के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है तथा सभी प्रार्थीगण एक ही खसरा सं0 307 के आवंटी होने से सभी प्रार्थीगण की ओर से तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। भूमि खसरा सं0 726/307 रकबा 0.1619 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076—79 की खतौनी सं0 237 में प्रार्थी सं0 1 व 2 लेखराज व हेमराज की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 706/648 रकबा 0.3237 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076—79 की खतोनी सं0 238 में प्रार्थी सं0 1 व 2 लेखराज व हेमराज की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 648/307 रकबा 0.3318 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076—79 की खतोनी सं0 138 में प्रार्थी सं0 3 मांगीलाल पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 705/648 रकबा 0.1619 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076—79 की खतोनी सं0 34 मे प्रार्थी सं0 4 खाना पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 740/307

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

रकबा 0.0809 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी सं0 243 में प्रार्थी सं0 4 खाना पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 738/307 रकबा 0.0809 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी सं0 255 में प्रार्थी सं0 5 देवा पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 777/705 रकबा 0.1619 है0 वाके ग्राम मांगली कलां में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी सं0 81 में प्रार्थी सं0 5 देवा पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 307 के समीप खसरा सं0 706 व 705 स्थित है और खसरा सं0 706 में से भूमि खसरा सं0 706/648 की भूमि प्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है, इसी प्रकार खसरा सं0 705 में से भूमि खसरा सं0 705/648 की भूमि प्रार्थी सं0 4 खाना पुत्र मोती के नाम खातेदारी में दर्ज है व खसरा सं0 777/705 की भूमि प्रार्थी सं0 5 देवा पुत्र मोती के नाम खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदिया संलग्न प्रार्थना है। प्रार्थीगण की भूमियों की पूर्व में राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रही थी और राज्य सरकार द्वारा सभी आवंटियों/गैरखातेदारान व खातेदारान की भूमियों की तरमीमें करने हेतु डी0आई0एल0आर0एम0पी योजना चलाई गई और उक्त तहसीलदार साहब से मिलकर गलत तरमीम को निरस्त करवाकर कब्जे के अनुसार तरमीम करवाने का अनुरोध किय लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना तरमीम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण कब्जे के अनुसार अपनी खातेदारी भूमियों की तरमीम करवावे एवं कब्जे से भिन्न स्थान पर की गई तरमीम के अंकन को निरस्त करवावे। नक्शे व मानचित्र में हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से श्रीमान को अधिकार प्राप्त है। भूमि ग्राम मांगली कलां तह0 हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा सं0 706/648, 726/307, 777/705, 648/307 नक्शा/मानचित्र में की हुई वर्तमान तरमीम के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे के अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा पूर्व में की हुई तरमीम को निरस्त करते हुए कब्जा अनुसार प्रस्तावित तरमीम किया जाना अपेक्षित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :—राजस्व/25/1467 दिनांक 02.06.2025 अनुसार खाता संख्या खसरा संख्या 706/648 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का कब्जा आराजी खसरा संख्या 308 के समीपस्थ व खसरा संख्या 726/307 रकबा 0.1619 हैक्टेयर का कब्जा खसरा सख्या 777/705 से उपर न होकर सडक तक कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 648/307 का कब्जा गै0मु0नहर से गै0मु0रास्ता तक है व खसरा संख्या 738/307 व 777/705 का कब्जा एक दूसरे से उपर नीचे है एवं खसरा संख्या 705/648 व 740/307 का कब्जा गै0मु0नहर से गै0मु0रास्ता तक है। उक्त खसरा नम्बरों की तरमीम नक्शे लठ्ठे में नहीं है। आराजी खसरा नम्बरों की तरमीम मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत ''सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू—सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 706/648, 726/307, 648/307, 738/307, 777/705, 705/648 व 740/307 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पृथक—पृथक खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 706/648, 726/307, 648/307, 738/307, 777/705, 705/648 व 740/307 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 238** के खसरा संख्या 706/648, **खाता संख्या 237** के खसरा संख्या 726/307, **खाता संख्या 138** के खसरा संख्या 648/307, **खाता संख्या 34** के खसरा संख्या 705/648, **खाता संख्या 243** के खसरा संख्या 740/307, **खाता संख्या 255** के खसरा संख्या 738/307 व **खाता संख्या 81** के खसरा संख्या 777/705 वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या **238** के खसरा संख्या 706/648, खाता संख्या **237** के खसरा संख्या 726/307, खाता संख्या **138** के खसरा संख्या 648/307, खाता संख्या **34** के खसरा संख्या 705/648, खाता संख्या **243** के खसरा संख्या 740/307, खाता संख्या **255** के खसरा संख्या 738/307 व खाता संख्या **81** के खसरा संख्या 777/705 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली